न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर शिविर भोपाल

पुन.कं.– /12–13

असगर अली आत्मज श्री हसन अली
निवासी–मेवातीपुरा सीहोर म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

अफशा पुत्री श्री नसीरउददीन
निवासी–मेवातीपुरा सीहोर म0प्र0 ..... अनावेदक

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदन न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 406/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक–11/02/2015 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है ।

//तथ्य//

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा न्यायालय नजूल अधिकारी के समक्ष नोटरी द्वारा प्रमाणित तथाकथित हिबा नामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो अस्वीकार किया गया उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश द्वारा अस्वीकार की जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया, अतः परिवेदित होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो आलोच्य आदेश द्वारा अस्वीकार की गई अतः यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है ।

//वैधानिक आधार//

1. यह कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधान एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1300–तीन/2015 **जिला–सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	असगरअली कार्यवाही तथा आदेश अफसा	पक्ष कारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2015	आवेदक की ओर से श्री कैलाश गुप्ता अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक–11.2.15 का अवलोकन किया गया । आदेश दिनांक–11.2.15 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक एवं अनावेदक के मध्य विवाद अनावेदक के पक्ष में हुए हिबानामा एवं आवेदक के पक्ष में हुए विक्रय के आधार पर नामांतरण के संबंध में है ।अवलोकन से यह भी प्रकट हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक–12.2.13 को स्थिर रखा गया है । यद्यपि अपर आयुक्त द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गये है वे उचित है तथा अपर कलेक्टर द्वारा जिन बिन्दुओं पर पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है वे बिन्दु भी उचित है किन्तु संहिता की धारा 49 में वर्ष 2011 में हुए संशोधन के अनुसार अपील में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित नहीं किया जावेगा, उत्पन्न बिन्दुओं का निराकरण अपीलीय अधिकारी को स्वयं ही करना चाहिए । उक्त संशोधन का इस प्रकरण में निर्णय लेते समय ध्यान नहीं रखा गया है । ऐसी सिस्थति में उक्त दोनों ही अपीलीय अधीनस्थ अधिकारियों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं । उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक–12.2.13 को निरस्त किया जाता है तथा अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने संबंधी अपर आयुक्त का आदेश दिनांक–11.2.15 भी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि जिन बिन्दुओं के निराकरण हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है उन बिन्दुओं पर आप स्वयं उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के तहत गुण दोष के आधार पर नामांतरण के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर पात्रता का निर्धारण कर नीतिगत निर्णय पारित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	